भारत सरकार

गृह मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 1928

दिनांक 17.12.2013/26 अग्रहायण, 1935 (शक) को उत्तर के लिए

हिरासत में मौत

†1928. श्री अधलराव पाटील शिवाजी:
श्री जितेन्द्र सिंह बुन्देला:
श्री ए०टी० नाना पाटील:
श्री विक्रमभाई अर्जनभाई मादम:
श्री गजानन ध० बाबर:
श्री एस०आर० जेयदुरई:
श्री धर्मेन्द्र यादव:

क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में न्यायिक हिरासत में रखे गए व्यक्तियों को यातना दिए जाने/उनकी मौत होने, पुलिस-हिरासत में बलात्कार किए जाने व निर्दोष व्यक्तियों को गिरफ्तार करके उन्हें पुलिस हिंरासत में रखे जाने की घटनाओं में तेजी से वृद्धि हुई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा विगत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष और चालू वर्ष के दौरान ऐसे कितने मामलों की सूचना मिली, कितने दोषी कार्मिकों को गिरफ्तार करके आरोपित किया गया और उनके विरुद्ध क्या कार्रवाई की गई;

(ग) क्या केन्द्र सरकार और उच्चतम न्यायलय ने राज्य सरकारों को इस संबंध में कोई निदेश जारी किया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस पर राज्य सरकारों की क्या प्रतिक्रिया है; और

(ड.) केन्द्र सरकार द्वारा भविष्य में ऐसे मामलों को रोकने के लिए क्या नई रणनीतियां अपनाई गई हैं?

उत्तर

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर.पी.एन. सिंह)

(क) : राष्ट्रीय अपराध रिकार्ड व्यूरो (एनसीआरबी) से मिली सूचना के आधार पर, हिरासत में हुई मौतों और पुलिस हिरासत में बलात्कार के संबंध में सूचित की गई घटनाओं के व्यौरे नीचे दिए गए हैं:-

क्रम सं०		2010	2011	2012
क)	पुलिस हिरासत में हुई मौंते	70	104	109
ख)	बलात्कार के मामले	6	1	1
ग)	न्यायिक हिरासत में हुई मौतें	1436	1332	1471

उपर्युक्त तालिका से देखा जा सकता है कि पुलिस हिरासत में हुई मौतों में बढ़ोतरी की प्रवृत्ति दिखाई दे रही है।

किन्तु न्यायिक हिरासत में होने वाली मौतों की मिश्रित प्रवृत्ति दिखाई दे रही है। तथापि, वर्ष 2010 की तुलना में वर्ष 2011 और 2012 में पुलिस हिरासत में बलात्कार के मामलों में गिरावट की प्रवृत्ति दिखाई दे रही है। यातना देने, निर्दोष व्यक्तियों को गिरफ्तार करने और पुलिस हिरासत में रखे गए व्यक्तियों से संबंधित मामलों के आंकड़े राष्ट्रीय अपराध रिकार्ड ब्यूरो द्वारा अलग से नहीं रखे जाते हैं।

(ख) : वर्ष 2010-12 के दौरान पुलिस हिरासत में बलात्कार और पुलिस हिरासत में मौतों के अन्तर्गत राज्य/संघ राज्यक्षेत्र प्रशासन-वार पंजीकृत किए गए मामलों, आरोप-पत्रित व्यक्तियों, दोषसिद्ध व्यक्तियों के ब्यौरे को दर्शाने वाला विवरण क्रमश: अनुलग्नक-I और अनुलग्नक-II में दिया गया है। न्यायिक हिरासत में मौतों के संबंध में गिरफ्तार किए गए दोषी व्यक्तियों, आरोप-पत्रित और दोषसिद्ध व्यक्तियों के आंकड़े राष्ट्रीय अपराध ब्यूरो द्वारा अलग से नहीं रखे जाते हैं।

(ग) और (घ) : माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा डॉ० डी०के० बसू बनाम पश्चिम बंगाल राज्य 1997(1) एससीसी 416 के मामले में हिरासत में हिंसा को रोकने के उपाय के रुप में गिरफ्तारी अथवा नजरबन्दी के सभी मामलों में अपनाई जाने वाली कतिपय आधारभूत अपेक्षाएं निर्धारित की गई थीं। इनके ब्यौरे अनुलग्नक-III में संलग्न हैं। इसके अतिरिक्त, संविधान की सातवीं अनुसूची के अधीन पुलिस और लोक व्यवस्था राज्य के विषय हैं और यह प्रमुखतया राज्य/संघ राज्यक्षेत्र सरकार का उत्तरदायित्व है।

(ड.) : दण्ड विधि(संशोधन) अधिनियम, 2013 में एक धारा 376(1) दी गई है, जिसमें हिरासत में बलात्कार को रोकने के लिए कठोर दण्ड का प्रावधान है।

हिरासत में हिसा को रोकने के उपाय के रुप में गिरफ्तारी अथवा नजरबंदी के सभी मामलों में पालन की जानी वाली प्रक्रिया

(i) गिरफ्तार करने वाले तथा गिरफ्तार व्यक्ति से पूछताछ करने से संबंधित पुलिस कार्मिकों की पहचान सही सही, दृश्य और स्पष्ट होनी चाहिए और उनकी नामपट्टिका में पदनाम का उल्लेख होना चाहिए। गिरफ्तार व्यक्ति से पूछताछ करने से संबंधित सभी पुलिस कार्मिकों के विवरण एक रजिस्टर में रिकार्ड किये जाने चाहिए।

(ii) गिरफ्तार करने वाला पुलिस अधिकारी गिरफ्तारी के समय गिरफ्तारी सम्बन्धी एक मेमो तैयार करेगा और उक्त मेमो कम से कम एक गवाह, जो गिरफ्तार व्यक्ति के परिवार का एक सदस्य अथवा जिस स्थान से गिरफ्तारी की गई है उस क्षेत्र के एक सम्मानित व्यक्ति हो, द्वारा अनुप्रमाणित किया जायेगा। उक्त मेमो गिरफ्तार व्यक्ति द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित होगा और इसमें गिरफ्तारी का समय और तारीख का उल्लेख होगा।

(iii) गिरफ्तारी मेमो को अनुप्रमाणित करने वाला गवाह ही उसका मित्र अथवा उस गिरफ्तार व्यक्ति का सम्बन्धी न होने की स्थिति में यथाशीघ्र व्यावहारिक होने पर गिरफ्तार अथवा नजर बन्द और किसी पुलिस थाने अथवा पूछताछ केन्द्र अथवा अन्य लाकअप में हिरासत में लिये गये व्यक्ति को यह हक होगा कि उसके किसी मित्र अथवा सम्बन्ध अथवा उसको जानने वाले किसी व्यक्ति अथवा उसके शुभचिन्तक को इसकी सूचना दी जाये कि उसे गिरफ्तार कर लिया गया है और एक निर्धारित स्थान पर नजरबन्द किया गया है।

(iv) गिरफ्तार व्यक्ति को हिरासत में लिये जाने का समय, गिरफ्तारी का स्थान और स्थल पुलिस द्वारा जिला या नगर से बाहर रहने वाले गिरफ्तार व्यक्ति के मित्र अथवा सम्बन्धी को गिरफ्तारी किये जाने के बाद आठ से बारह घण्टे की अवधि के भीतर सम्बन्धित जिले में स्थित विधिक सहायता संगठन और क्षेत्र के पुलिस थाने के माध्यम से अधिसूचित किये जायेंगे।

(v) गिरफ्तार व्यक्ति को उसके इस अधिकार की जानकारी दी जानी होगी कि वह गिरफ्तार होने अथवा नजरबन्द किये जाने के बाद यथाशीघ्र अपनी गिरफ्तारी अथवा नजरबन्दी के बारे में किसी भी व्यक्ति को सूचित कर सकता है।

<u>अनुलग्नक-III</u>

<u>लो० स० अता० प्र० सं० 1928</u>

(vi) व्यक्ति को गिरफ्तार करने के सम्बन्ध में नजरबन्द किये जाने के स्थल पर डायरी में प्रविष्टि की जायेगी जिसमें व्यक्ति के उस मित्र के नाम का खुलासा होगा जिसे गिरफ्तारी की सूचना दी गई है और इसमें उन पुलिस प्राधिकारियों के नाम और विवरण होंगे जिनके हिरासत में गिरफ्तार व्यक्ति है।

(vii) गिरफ्तार व्यक्ति द्वारा अनुरोध किये जाने पर गिरफ्तारी के समय उसकी जांच की जायेगी और यदि उसके शरीर पर बड़ी और छोटी मोटी चोटें हों तो उसे उस समय रिकार्ड किया जाये। "निरीक्षण मेमो" गिरफतार किये हुए व्यक्ति और गिरफ्तारी करने वाले पुलिस अधिकारी दोनों द्वारा हस्ताक्षरित होगा और इसकी प्रति गिरफ्तार व्यक्ति को उपलब्ध कराई जायेगी।

(viii) हिरासत में नजरबन्दी के दौरान गिरफ्तार व्यक्ति की प्रत्येक 48 घन्टे पर संबंधित राज्य अथवा संघ राज्य क्षेत्र के निदेशक, स्वास्थ्य सेवायें द्वारा नियुक्त अनुमोदित डाक्टरों के पैनल से एक प्रशिक्षित चिकित्सक द्वारा मेडिकल जांच की जायेगी। निदेशक, स्वास्थ्य सेवायें सभी तहसीलों और जिलों के लिए इस प्रकार का पैनल तैयार करेंगे।

(ix) ऊपर उल्लिखित गिरफ्तारी मेमो सहित सभी दस्तावेजों की प्रतियां मजिस्ट्रेट को उसके रिकार्ड हेतु भेजी जायेंगी।

(x) गिरफ्तार व्यक्ति को पूछताछ के दौरान, पूरी पूछताछ तक नहीं, अपने अधिवक्ता से मिलने की अनुमति होगी।

(xi) सभी जिला और राज्य मुख्यालयों में पुलिस नियंत्रण कक्ष उपलब्ध होगा जिसमें गिरफ्तारी के पश्चात 12 घण्टों के भीतर गिरफ्तार करने वाले अधिकारी द्वारा गिरफ्तारी और गिरफ्तार व्यक्ति को हिरासत में रखे जाने की जगह की सूचना दी जायेगी और यह सूचना उक्त पुलिस नियंत्रण कक्ष में नोटिस बोर्ड पर प्रदर्शित की जायेगी।

*****

अनुलग्नक-I

दिरनांक 17.12.2013 के लोक सभा प्रश्न संख्या 1928 के भाग (ख) में उल्लिखित अनुलग्नक

वर्ष 2010-2012 के दौरान पुलिस हिरासत में बलात्कार के अन्तर्गत पंजीकृत मामले (सीआर), आरोप पत्रित व्यक्तियों (पीसीएस) और दोषसिद्ध व्यक्तियों (पीसीवी) मामलों की संख्या

		2010			2011			2012		
क्रम सं.	**राज्य**	सीआर	पीसीएस	पीसीवी	सीआर	पीसीएस	पीसीवी	सीआर	पीसीएस	पीसीवी
1	आन्ध्र प्रदेश	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	अरुणाचल प्रदेश	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	असम	5	3	2	0	2	0	0	0	0
4	बिहार	0	0	0	1	1	0	0	0	0
5	छत्तीसगढ़	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	गोवा	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	गुजरात	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	हरियाणा	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	हिमाचल प्रदेश	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	जम्मू और कश्मीर	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	झारखंड	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	कर्नाटक	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	केरल	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	मध्य प्रदेश	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	महाराष्ट्र	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	मणिपुर	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	मेघालय	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	मिजोरम	0	1	0	0	0	0	0	0	0
19	नागालैंड	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	ओडिशा	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	पंजाब	0	0	0	0	0	0	1	1	0
22	राजस्थान	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	सिक्किम	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	तमिलनाडु	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	त्रिपुरा	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	उत्तर प्रदेश	1	0	0	0	0	0	0	0	0
27	उत्तराखंड	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	पश्चिम बंगाल	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	कुल राज्य	**6**	**4**	**2**	**1**	**3**	**0**	**1**	**1**	**0**
29	अं. और नि. द्वीपसमूह	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	चंडीगढ़	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	दादरा और नगर हवेली	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32	दमण और दीव	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	दिल्ली संघ राज्य क्षेत्र	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34	लक्षद्वीप	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	पुदुचेरी	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	कुल संघ राज्य क्षेत्र	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	कुल अखिल भारत	**6**	**4**	**2**	**1**	**3**	**0**	**1**	**1**	**0**

अनुलग्नक-II

दिनांक 17.12.2013 के लोक सभा प्रश्न संख्या 1928 के भाग (ख) में उल्लिखित अनुलग्नक

वर्ष **2010-2012** के दौरान पुलिस हिरासत में हुई मौतों के अंतर्गत पंजीकृत मामले, आरोप पत्रित, पुलिस कर्मियों (पीसीएस) और दोषसिद्ध पुलिस कर्मियों (पीसीवी) की संख्या

क्रसं.	राज्य		2010			2011			2012	
		सीआर	पीसीएस	पीसीवी	सीआर	पीसीएस	पीसीवी	सीआर	पीसीएस	पीसीवी
1	आन्ध्र प्रदेश	9	2	0	16	0	0	5	0	0
2	अरुणाचल प्रदेश	1	0	0	1	0	0	2	0	0
3	असम	3	0	0	0	0	0	11	0	0
4	बिहार	0	0	0	1	0	0	2	2	0
5	छत्तीसगढ़	0	0	0	1	0	0	1	0	0
6	गोवा	0	0	0	1	0	0	0	0	0
7	गुजरात	1	4	0	0	0	0	2	0	0
8	हरियाणा	0	0	0	0	0	0	1	0	0
9	हिमाचल प्रदेश	0	0	0	2	0	0	1	1	0
10	जम्मू और कश्मीर	1	0	0	1	1	0	1	0	0
11	झारखंड	0	0	0	1	0	0	2	0	0
12	कर्नाटक	0	0	0	0	0	0	1	0	0
13	केरल	1	0	0	0	0	0	0	0	0
14	मध्य प्रदेश	1	0	0	1	0	0	1	0	0
15	महाराष्ट्र	3	0	0	5	0	0	0	0	0
16	मणिपुर	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	मेघालय	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	मिजोरम	0	0	0	1	0	0	0	0	0
19	नागालैंड	2	0	0	0	0	0	0	0	0
20	ओडिशा	1	0	0	1	0	0	3	0	0
21	पंजाब	0	0	0	2	3	0	2	4	0
22	राजस्थान	1	0	0	2	4	0	1	0	0
23	सिक्किम	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	तमिलनाडु	2	0	0	6	0	0	7	0	0
25	त्रिपुरा	1	0	0	0	0	0	0	0	0
26	उत्तर प्रदेश	8	19	3	9	6	0	12	0	0
27	उत्तराखंड	0	0	0	1	0	0	0	0	0
28	पश्चिम बंगाल	3	0	0	0	0	0	1	0	0
	कुल राज्य	**38**	**25**	**3**	**52**	**14**	**0**	**56**	**7**	**0**
29	अं. और नि. द्वीप समूह	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	चंडीगढ़	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	दादरा और नगर हवेली	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32	दमण और दीव	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	दिल्ली संघ राज्य क्षेत्र	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34	लक्षद्वीप	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	पुदुचेरी	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	कुल संघ राज्य क्षेत्र	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	कुल अखिल भारत	**38**	**25**	**3**	**52**	**14**	**0**	**56**	**7**	**0**